रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 241] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 1984/ वैशाख 28, 1906
No. 241] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 1984/VAISAKHA 28, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(वार्षिक कार्य विभाग)

(पूंजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 1984

का० आ० 390 (अ):—पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 के खण्ड 5 के उपखण्ड (ix) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उपर्युक्त आदेश के प्राधिकार के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले तरजीही शेयरों पर लाभांश की दर को 16 मई, 1984 से ऐसी दर पर अधिसूचित करती है जो कि 15 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

[एस० 11(17)-सीसीआई (II)/83]

डी० आर० मेहता, संयुक्त सचिव
एवं पूंजी निर्गम नियंत्रक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Office of the Controller of Capital Issues

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 1984

S.O. 390(E).—In pursuance of sub-clause (ix) of clause 5 of the Capital Issues (Exemption) Order, 1969, the Central Government hereby notifies, with effect from 16th May, 1984 the rate of dividend on preference shares, to be issued under the authority of the said Order, as that rate which does not exceed 15 per cent per annum.

[S. 11(17)-CCI(II)|83]

D. R. MEHTA, Jt. Secy.
& Controller of Capital Issues

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984